



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274373
CG-DL-E-11072026-274373

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3585]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3585]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3747(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखण्ड राज्य के देवघर-बाईपास मार्ग चैनेज कि०मी० 00.000 से कि०मी० 49.000 तक एन०एच०-133, एन०एच०-333 और एन०एच०-114ए को जोड़ने वाले 4 लेन बाईपास तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, देवघर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के देवघर जिले में झारखण्ड राज्य के देवघर-बाईपास मार्ग चैनेज कि०मी० 00.000 से कि०मी० 49.000 तक एन०एच०-133, एन०एच०-333 और एन०एच०-114ए को जोड़ने वाले 4 लेन बाईपास निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: देवघर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देवघर					
गांव का नाम: माधोपुर					
1	151	निजी	धानी-2 (धानी-2)	0.0020234 (हेक्टेयर)	0.0020234
गांव का नाम: नवाडीह					
2	24	निजी	धानी-3 (धानी-3)	0.0101173 (हेक्टेयर)	0.0101173
गांव का नाम: वानधाकेन्दुआ					
3	485	निजी	धानी-2 (धानी-2)	0.0020234 (हेक्टेयर)	0.0020234
गांव का नाम: कुसमाहा					
4	238	निजी	धानी-3 (धानी-3)	0.0242816 (हेक्टेयर)	0.0242816
गांव का नाम: ओझाजमुआ					
5	7/291	निजी	(बाड़ी-2)	0.0324095 (हेक्टेयर)	0.0324095
गांव का नाम: रोहिनी					
6	2169	निजी	धानी-3 (धानी-3)	0.1335491 (हेक्टेयर)	0.133549
7	2460	निजी	धानी-3 (धानी-3)	0.0647511 (हेक्टेयर)	0.0647511
तालुक का नाम: मोहनपुर					
गांव का नाम: सतबहिरी					
8	225	निजी	बाड़ी-2 (बाड़ी-2)	0.0101173 (हेक्टेयर)	0.0101173
गांव का नाम: चाटमी					

9	122	निजी	धानी-3 (धानी-3)	0.0020234 (हेक्टेयर)	0.0020234
गांव का नाम: उदयपुर					
10	333	निजी	बाँध (बाँध)	0.0283286 (हेक्टेयर)	0.0283286
गांव का नाम: बरगछा(514)					
11	113	निजी	बाड़ी-2 (बाड़ी-2)	0.0607041 (हेक्टेयर)	0.0607041
12	34	निजी	बाड़ी-2 (बाड़ी-2)	0.190488 (हेक्टेयर)	0.190488
गांव का नाम: पथरगडहा					
13	198	निजी	धानी-2 (धानी-2)	0.0141643 (हेक्टेयर)	0.0141643
गांव का नाम: करनकोल					
14	440	निजी	धानी-2 (धानी-2)	0.0080938 (हेक्टेयर)	0.0080938
गांव का नाम: आराजीदुमाबाद					
15	74	निजी	धानी-2 (धानी-2)	0.0768919 (हेक्टेयर)	0.0768919
Total					0.6599667

[फा.सं. NHAI/PIU-DEOGHAR/DEOGHAR BYPASS/LA/3a/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3747(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of 4 laning Bypass to NH-114A connecting NH-333 and NH-133 (Deoghar Bypass) from Design Km 0.000 to Design Km 49.000 (Total Length - 49.000 Km) in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, Deoghar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in 4 laning Bypass to NH-114A connecting NH-333 and NH-133 (Deoghar Bypass) from Design Km 0.000 to Design Km 49.000 (Total Length - 49.000 Km) in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: DEOGHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Deoghar					
Village: Madhopur					
1	151	Private	Dhaani-2 (Dhaani-2)	0.0020234 (Hectare)	0.0020234
Village: Nawadih					
2	24	Private	Dhaani-3 (Dhaani-3)	0.0101173 (Hectare)	0.0101173
Village: Bandhakendua					
3	485	Private	Dhaani-2 (Dhaani-2)	0.0020234 (Hectare)	0.0020234
Village: Kusmaha					
4	238	Private	Dhaani-3 (Dhaani-3)	0.0242816 (Hectare)	0.0242816
Village: Ojhajamua					
5	7/291	Private	(Baadi-2)	0.0324095 (Hectare)	0.0324095
Village: Rohini					
6	2169	Private	Dhaani-3 (Dhaani-3)	0.1335491 (Hectare)	0.133549
7	2460	Private	Dhaani-3 (Dhaani-3)	0.0647511 (Hectare)	0.0647511
Taluk: Mohanpur					
Village: Satbahiri					
8	225	Private	Baadi-2 (Baadi-2)	0.0101173 (Hectare)	0.0101173
Village: Chhatmi					
9	122	Private	Dhaani-3 (Dhaani-3)	0.0020234 (Hectare)	0.0020234
Village: Udaipur					
10	333	Private	Baandh (Baandh)	0.0283286 (Hectare)	0.0283286

Village: Bargachha(514)					
11	113	Private	Baadi-2 (Baadi-2)	0.0607041 (Hectare)	0.0607041
12	34	Private	Baadi-2 (Baadi-2)	0.190488 (Hectare)	0.190488
Village: Pathargarha					
13	198	Private	Dhaani-2 (Dhaani-2)	0.0141643 (Hectare)	0.0141643
Village: Karankol					
14	440	Private	Dhaani-2 (Dhaani-2)	0.0080938 (Hectare)	0.0080938
Village: Arazidumabad					
15	74	Private	Dhaani-2 (Dhaani-2)	0.0768919 (Hectare)	0.0768919
Total					0.6599667

[F.No. NHAI/PIU-DEOGHAR/DEOGHAR BYPASS/LA/3a/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director